

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 12/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/35

प्रार्थी:-
विकास अधिकारी, पंचायत समिति रानी
जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. सरपंच ग्राम पंचायत रानीकलां
2. जीवाराम पुत्र नेताराम देवासी निवासी रानीकलां तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति -

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत उपस्थित।



:- निर्णय :-

दिनांक :- 18.6.2024

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 12.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रार्थी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तत्कालीन सरपंच रानीकलां ने नियम विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया। नियम 157(1) के तहत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकान का ही इस नियम के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जा सकता है। जैर निगरानी पट्टे की राशि 6,16,671/-रूपये है, जिसका राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 154 के अनुसार जमीन का विक्रय सार्वजनिक निलामी द्वारा किया जाना था। साथ ही जैर निगरानी भूखण्ड पर वर्तमान में कोई पक्का या कच्चा झोपडा/मकान नहीं बना हुआ है एवं उक्त भूखण्ड पर किसी का रहवास भी नहीं है। जैर निगरानी भूखण्ड पर वेनाराम पुत्र तिलोकजी का कब्जा होने के कारण किसी अन्य को पट्टा जारी न करने का स्पष्ट निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। मिसल में दर्ज आदेशिकाए कम्प्युटर से निर्धारित फॉरमेट में तैयार की है, जिसमें खाली जगह रखकर नाम भरे है। कही कॉलम रिक्त है तो कही दिनांक रिक्त है। अतः ऐसे निर्धारित फॉरमेट के आधार पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही विधिविरुद्ध प्रतीत होती है। जांच पत्रावलियों से भी यह स्पष्ट होता है कि सारी मिसल कार्यवाही एक ही दिन में तैयार कर आदेशिकाओं में आगे दिनांक अंकित कर खाली जगह भरी गयी। न तो मौका देखा गया और न ही आपत्ति ईशतहार पर कोई

Signature

जिला कलक्टर, पाली

क्रमांक अंकित है। निरीक्षणकर्ता एवं बयानकर्ता की वल्लिदयती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरुद्ध जारी किया है जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी विकास अधिकारी निगरानी पेश नहीं कर सकता, पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत एक अपील ऑथोरिटी होती है। प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल एक ही दिन में बनी हुई है, जिसमें पंचायत नियमों की पालना नहीं हुई है। चुकि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध अप्रार्थी संख्या 2 ने नियमानुसार शुल्क जमा करवायी है, जिसके उपरान्त विधिनुसार कार्यवाही की गयी है। साथ ही प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड आबादी में नहीं है, यदि उक्त भूखण्ड में आबादी में नहीं होता तो पट्टा जारी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही, टी.पी. रिपोर्ट अथवा किस्म की रिपोर्ट पेश कर अप्रार्थी संख्या 2 को बेदखल करने कि कार्यवाही की जाती परन्तु ऐसा नहीं किया गया जिससे भी यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में ही जारी किया गया है। मिसल की आदेशिकाये यदि कम्प्यूटर से तैयार कि जाती है तो अप्रार्थी संख्या 2 की इसमें कोई गलती नहीं है, साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित तथ्य ग्राम पंचायत के नाम से है अप्रार्थी के नाम से नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी राजनैतिक दैष भावना को दर्शाता है।



प्रार्थी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 जीवौराम पुत्र नेताराम देवासी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 12.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 09.06.2016 को पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 09.06.2016 को मिसल कायम की गयी, जिसमें सचिव को नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया। सम्पूर्ण मिसल कम्प्यूटर टाईप है जिसमें ग्राम पंचायत, प्रार्थी तथा वार्ड पंचों का नाम पेन से अंकित है। साथ ही आज्ञा दिनांक 21.01.2019 तथा 20.02.2019 की कार्यवाही का विवरण एक साथ अंकित किया हुआ है जिसमें भी जैर निगरानी आराजी कहा स्थित है के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईशतहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप-22 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी नोटिस पर न तो ग्राम पंचायत के आउटवर्ड नम्बर अंकित है और न ही किसी सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर व उनकी वल्लिदयती की जानकारी अंकित है। साथ ही

Lucho


अति. जिला कलक्टर, पाली

मिसल के संलग्न जो बयान फार्म है वो भी निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है जिस पर केवल एक अंगुष्ठ निशान है। उक्त बयान कब लिये गये के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन बयानफार्म पर नहीं है, जिससे उक्त बयान फार्म की वैधिकता जाहिर नहीं होती है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो नियमानुसार सही नहीं होने से खाजिर योग्य है।

पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत द्वारा जारी एक अन्य पट्टा जो अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन के तहत वेनाराम के पक्ष में दिनांक 23.11.1975 निष्पादित कर वागर एरिया में प्लॉट संख्या 15 आवंटित किया गया। ग्राम पंचायत रानीकलां के पत्र दिनांक 05.10.2020 के अनुसार वागर एरिया में वेनाराम को प्लॉट नम्बर 15 आवंटित किया गया था, प्लॉट नम्बर 15 की भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत ने वेनाराम को प्लॉट नम्बर 34 पर काबिज किया। ग्राम पंचायत ने कूट रचित तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो खारिज योग्य है। जिसकी ताईद में पत्रावली क संलग्न ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.2004, मौका रिपोर्ट दिनांक 16.02.2004, आपसी समझौता लिखत दिनांक 31.03.2005, ग्राम पंचायत की रसीद, के अवलोकन से भी यह स्पष्टतया जाहिर है कि ग्राम पंचायत ने विधिविरुद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है।

सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी स्टेशन के द्वारा विधि विरुद्ध जारी पट्टों के सम्बन्ध में 5 पट्टों का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। "जिसमें क्रम संख्या 2 पर अप्रार्थी के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे का अंकन किया गया है। समस्त 5 पट्टों की भूमि पडी हुई है। वर्तमान में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का (झौपडा/मकान) बना हुआ नहीं है एवं किसी भी भूखण्ड में रहवास नहीं है। इन पट्टों में पट्टाधारक को लाभ पहुंचाने की नियम से नियमों को दरकिनार करके वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा जो मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी है। जमीन का विक्रय सार्वजनिक निलामी द्वारा किया जाना था तथा जैर निगरानी पट्टे की डीएलसी दर से वसूल योग्य राशि 6,16,671 रुपये है। इसलिये पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत विधि विरुद्ध है। जो एक ही परिवार को जारी किये गये है। तत्कालिन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अधिकारिता से बाहर जाकर नियम विरुद्ध उक्त भूखण्ड का पट्टा मात्र दो सौ रुपये में अन्य व्यक्तियों के नाम जारी किये है जो निरस्त योग्य है। अतः नियम विरुद्ध जारी पट्टों को निरस्त कराने की कार्यवाही अपेक्षित है।" जांच प्रतिवेदन के विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नही कर अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारीज योग्य है।

पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 3 में यह स्पष्ट अंकित है कि देवासी समाज के एक ही परिवार को खाली भूमि पर नियम 157 के तहत 200/-रुपये में पांच पट्टे जारी कर दिये, जबकि इन पर


अति. जिला कलक्टर, पाली

किसी भी प्रकार का आवासीय मकान नहीं बना हुआ है परन्तु उक्त भूमि को पुश्तैनी मकान बताकर नियम विरुद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया जिससे राजस्व हानी का नुकसान हुआ है। जिसमें पट्टाधार का नाम (B) पर अंकित है, जिसे निरस्त करवाने की अनुशंसा की है। साथ ही बैठक दिनांक 20.08.2020 के अवलोकन से भी यह सुस्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा विधिविरुद्ध है, जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 09.06.2016 को पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गयी। सम्पूर्ण मिसल कम्प्यूटर टाईप है जिसमें ग्राम पंचायत, प्रार्थी तथा वार्ड पंचों का नाम पेन से अंकित है। साथ ही आज्ञा दिनांक 21.01.2019 तथा 20.02.2019 की कार्यवाही का विवरण एक साथ अंकित किया हुआ है जिसमें भी जैर निगरानी आराजी कहा स्थित है के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी नोटिस पर आउटवर्ड नम्बर अंकित है, न तो चस्पानगी रिपोर्ट का अंकन है और न ही दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर है, साथ ही बयान फार्म भी निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप सुदा है। ग्राम पंचायत रानीकलां का प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.2004 तथा पत्र दिनांक 05.10.2020 में भी स्पष्टतया अंकित है कि जैर आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा न होकर किसी अन्य का कब्जा है। साथ ही ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 3 में भी यह स्पष्टतया अंकित है कि जैर निगरानी पट्टा नियम विरुद्ध तरीके से जारी किया गया है, जिससे राजस्व हानी का नुकसान हुआ है, जिसे निरस्त करवाने की अनुशंसा की है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी स्टेशन द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय नियम विरुद्ध प्रक्रिया अपनाई जाकर विधिविरुद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 जीवाराम पुत्र नेताराम देवासी के पक्ष में जारी संख्या 28 दिनांक 12.09.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।



निर्णय आज दिनांक 10/6/2024
हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Luck
(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद

Luck
(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली